

—छियालीस—

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5

संख्या:क0नि0-5- 3497 / 11-2005-500(83) / 2005

लखनऊ: दिनांक: 09 सितम्बर, 2005

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उप धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से सरकारी अधिसूचना संख्या क0 नि0-5-2915 / 11 - 2004 - 500(87) / 2001 दिनांक 9 जुलाई, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में,

(क) शब्द "जो निवेशित किया हो" के स्थान पर शब्द "जो निवेशित करेगी" रख दिये जाएंगे, और

(ख) शब्द "सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग" के स्थान पर शब्द "सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग या उसके द्वारा लिखित आदेश द्वारा नामनिर्दिष्ट आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन कार्यरत संगठन के किसी अधिकारी" रख दिये जाएंगे।

आज्ञा से,

ह0अस्पष्ट

(अतुल चतुर्वेदी)

प्रमुख सचिव।

संख्या-क0नि0-5- 3497(1) / ग्यारह-2005-500(83) / 2005 तददिनांक

प्रतिलिपि अंग्रेजी तथा हिन्दी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ का इस आशय से प्रेषित कि वे इस दिनांक 9 सितम्बर, 2005 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड(ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 200 प्रतियां महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को और 100 प्रतियां शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

ह0अस्पष्ट
(अरुण सिंह)
विशेष सचिव ।

संख्या:-क0नि0-5-3497(2)/11-2005-500(83)/2005, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना की प्रति समस्त उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 2.आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, एम0जी0रोड, लखनऊ।
3. आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश शिविर लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रदेश के समस्त अपर जिला अधिकारी (वित्त एवं राजस्व) तथा उप / सहायक महानिरीक्षक निबन्धन को इस आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें साथ ही कृपया उन्हें कृपया यह भी निर्देशित करने का कष्ट करें कि सम्बन्धित जनपद के उप-निबन्धकों को इस आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- शासकीय हस्तांतरक, न्याय विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- विधि परामर्शी पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
- 9- सूचना निदेशक, सूचना निदेशालय, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(अरुण सिंह)
विशेष सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-5

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the

following English translation of Government notification No. K. N.5-3497/11-2005-500(83)/2005 dated 09 September, 2005:-

No.K.N.5-3497/11-2005-500(83)/2005

Lucknow, Dated September 09, 2005

Notification

Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to make with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the following amendment in Government notification no. K.N.5-2915/11-2004-500 (87)/2001 dated July 09, 2004:

AMENDMENT

In the aforesaid notification, -

(a) for the words, "who has invested", the words, "who shall invest", shall be substituted, and

(b) for the words, "Secretary, Housing and Urban Development Department", the words, " Secretary, Awas Evam Shahri Niyojan Vibhag or any officer of the organisation working under the Awas Evam Shahri Niyojan Vibhag nominated by him by order in writing," shall be substituted.

By order,

Sd/- Illegible

(Atul Chaturvedi)

Pramukh बीपअण